राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2087/2024
कुलदीप सिंह चौपदार

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू, जिला झुन्झुनू।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नीमकाथाना जिला नीमकाथाना।
5. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उदयपुरवाटी, जिला नीमकाथाना।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 26.06.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री एस.के. सिंगोदिया, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की अपीलार्थी की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर भाटीवाड में कार्यरत है। अपीलार्थी को मार्च 2022 से जून 2023 तक का वेतन प्रदान नहीं किया गया है। अपीलार्थी का उक्त अवधि का वेतन बकाया चल रहा है। अपीलार्थी के उक्त अवधि के वेतन के सम्बन्ध में खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उदयपुरवाटी ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू को पत्र दिनांक 26.02.2024 प्रेषित किया जिसमें यह अनुरोध किया कि अपीलार्थी को मार्च 2022 से जून 2023 तक का वेतन रिक्त पद से आहरित करने का श्रम करें। इसके उपरान्त भी अपीलार्थी को उक्त अवधि का वेतन प्रदान नहीं किया गया है।

3. हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।
4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को मार्च 2022 से जून 2023 तक की अवधि का वेतन प्रदान नहीं किया गया है। उक्त अवधि को बीते वर्तमान में एक वर्ष का समय हो चुका है। ऐसे में प्रत्यर्थी संख्या–3 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को उक्त अवधि का वेतन वर्तमान पद से अथवा अन्य किसी रिक्त पद से आहरित कर प्रदान किया जाए। इस आदेश की पलाना एक माह में सुनिश्चित की जाए।
5. उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)